बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1339/अकादमी/संबद्धता/14 भोपाल, दिनांक 15-5-14

प्रति,

प्राचार्य,

एम० के० पॉण्डा महाविद्यालय

लाम्बाखेड़ा बेरसिया रोड

भोपाल

विषय : नवीन पाठ्यक्रम / नवीन महाविद्यालय को सत्र 2014–15 में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमाक 722 दिनांक 28/2/14 के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर गठित निरीक्षण समिति के सकारात्मक प्रतिवेदन होने के फलस्वरूप विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29–4–2014 में लिए गये निर्णय में माननीय कुलपति जी को संबद्धता संबंधित प्रकरणों में अधिकृत किया गया है। कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय मे संचालित नवीन पाठ्यक्रम / नवीन महाविद्यालय को निम्न विषयों में :–

1. B.Com. I Hons – 60 छात्र सं(ख्या).
2. B.Sc. I – Ec. Physcs. Math. Computer Sci – 60 छात्र सं(ख्या).
3.
4.

अस्थाई संबद्धता निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्ते :–

1. आपको प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2015–16 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, की मान्यता, निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा ।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत 31 जुलाई 2014 तक आवश्यक रूप से करनी होगी ।
4. महाविद्यालय का आय–व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
6. उपरोक्त शर्ते पूर्ण न होने पर प्रदत्त अस्थाई संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
7. विश्वविद्यालय परिनियम 27 के प्रावधानानुसार धरोहर राशि की सावधि जमा (एफ०डी०आर०) जो संचालन समिति एंव कुलसचिव बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के संयुक्त नाम से होगी को जमा करना अनिवार्य है ।
8. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा जिसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार

उप–कुलसचिव (अकादमी)

पृ०क्रमांक 1340/अकादमी/संबद्धता/14 भोपाल, दिनांक 15-5-14

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. उपकुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अकादमी)